न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, आर.ए.एस

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– 10 / 2023

प्रार्थीगण

1. प्रियंका पुत्री स्व. श्री इन्द्रप्रकाश
2. राम स्वरूप विश्नोई पुत्र उदाराम जातियान विश्नोई निवासीगण ग्राम विष्णु की ढाणी तहसील बिलाडा जिला जोधुपर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. उदाराम पुत्र स्व. पेमाराम
2. श्यामलाल पुत्र उदाराम
3. बजरंग पुत्र उदाराम
4. मनोहर पुत्र उदाराम जातियान विश्नोई निवासीगण विष्णु की ढाणी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
5. मंजू पुत्री उदाराम पत्नी सवाईसिह जाति विश्नोई निवासी ग्राम लाम्बा
6. सुमन पुत्री उदाराम पत्नी विजयराज जाति विश्नोई निवासी विष्णुनगर तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

– – – – –

उपस्थितिः– प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता।
अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री डी.डी.रामावत अधिवक्ता।
अप्रार्थी संख्या 2 से 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
अप्रार्थी सं. 7– सरकारी पैरोकार।

:: आदेश :: **दिनांकः–** 23/09/24

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 से 6 उपरोक्त पते पर निवास करते है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 से 6 का धर्म हिन्दु है। राजस्व ग्राम विष्णु की ढाणी तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सं. 120/11 रकबा 1.6989 हैक्टयर, खसरा सं. 176 रकबा 6.4154 हेक्टयर, खसरा नम्बर 51 रकबा 5.0886 हैक्टयर, खसरा नम्बर 76 रकबा 5.4041 हेक्टयर, खसरा नम्बर 89 रकबा 0.4692 हैक्टयर कुल खसरा 5 कुल रकबा 19.0762 हैक्टयर आई हुई है। जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार उपरोक्त खसरान की भूमि के खाता सं. 12 है। उपरोक्त खसरान की भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज है जो अप्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 से 6 की पुश्तैनी, संयुक्त हिन्दु परिवार की कोपार्सनरी, संयुक्त कब्जाकाश्तसुदा व अविभाजित कृषि भूमि है। राजस्व ग्राम चान्देलाव तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा सं. 55/12 रकबा 2.4270 हैक्टयर, खसरा सं. 55/3 रकबा 2.4270 हैक्टयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 4.8540 हैक्टयर आई हुइ है। जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार उपरोक्त खसरान की भूमि के खाता सं. 39 है। उपरोक्त खसरान की भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज है। जो प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 से 6 की पुश्तैनी, संयुक्त हिन्दू परिवार की कोपार्सनरी, संयुक्त कब्जाकाश्तसुदा व अविभाजित कृषि भूमि है। प्रार्थना पत्र के पैरा 4 में वर्णित वंशावली के अनुसार पेमाराम प्रार्थी सं. 1 के पडदादा व प्रार्थी सं. 2 के दादा थे जिनका स्वर्गवास हो चुका है तथा पेमाराम के वारिस पुत्र उदाराम व पत्नी अणचीदेवी है तथा अणचीदेवी का स्वर्गवास हो चुका है अप्रार्थी सं. 1 उदाराम ने दो शादिया की। पहली पत्नी का नाम पेमीदेवी व दुसरी पत्नी का नाम रामप्यारी है। अप्रार्थी सं. 1 उदाराम के पहली पत्नी पेमीदेवी से दाम्पत्य संबंध से तीन पुत्र प्रार्थी सं. 2 रामस्वरूप, अप्रार्थी सं. 2 श्यामलाल व इन्द्र प्रकाश का जन्म हआ। इन्द्रप्रकाश जनवरी 2023 में फौत हो चुके है। तथा इन्द्रप्रकाश की एकमात्र जीवित वारिस प्रार्थी सं. 1 है। अप्रार्थी सं. 1 उदाराम के दुसरी पत्नी रामप्यारी से दाम्पत्य संबंध से दो पुत्र अप्रार्थी सं. 3 बजरंग व अप्रार्थी सं. 4 मनोहर का जन्म हुआ। वादग्रस्त कृषि भूमि ए के खसरा सं. 51, 89, 176 व 76 की सम्पूर्ण भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के पडदादा/दादा पेमाराम पुत्र सांवलराम के नाम से दर्ज थी। पेमाराम फौत होने पर उक्त खसरान की वादग्रस्त कृषि भूमि ए जरिये फौतेदगी म्यूटेशन सं. 555 द्वारा अप्रार्थी सं. 1 उदाराम व पेमाराम की पत्नी अणचीदेवी के नाम दर्ज हुई तथा अणचीदेवी फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन सं. 50 द्वारा अप्रार्थी सं. 1 उदाराम के नाम दर्ज हुई। इसी प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि ए के खसरा सं. 120/11 का पूर्व में कुल रकबा 21 बीघा था तथा जो पूर्व में प्रार्थीगण के पडदादा/दादा पेमाराम पुत्र सांवलराम के नाम से दर्ज थी तथा पैमाराम फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन सं. 558 द्वारा 1/2 हिस्सा अप्रार्थी सं. 1 उदाराम व पेमाराम के पुत्र सुखाराम के नाम दर्ज हुआ। अणचीदेवी फौत

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन 50 द्वारा अणचीदेवी के स्थान पर अप्रार्थी सं. 1 उदाराम का नाम दर्ज हुआ, इसके बाद अप्रार्थी सं. 1 उदाराम व सुखाराम पुत्र पेमाराम द्वारा खसरा सं. 120 रकबा 21 बीघा का आपसी सहमति से बंटवाडा किया तथा बंटवाडा के आधार पर म्यूटेशन सं. 53 दर्ज किया गया तथा बंटवाडा के आधार पर अप्रार्थी सं. 1 के हिस्से में खसरा सं. 120 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि बंट में रखी गयी। इस प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि ए प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 से 6 की संयुक्त हिन्दु परिवार की कोपार्सनरी, पुश्तैनी, संयुक्त कब्जा काश्तसुदा व अविभाजित कृषि भूमि हैं तथा प्रार्थी सं. 1 पेमाराम की पडपौत्री होने से व प्रार्थी सं. 2 पेमाराम का पौत्र होने से व दोनो सहदायी होने से हिन्दु उतराधिकार कानून के अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 2 से 6 का भी वादग्रस्त कृषि भूमि ए में जन्म से प्रार्थीगणके दादा/पिता अप्रार्थी सं. 1 उदाराम के बराबर हक व अधिकार है। यानि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से दर्ज वादग्रस्त कृषि भूमि ए में प्रार्थी सं. 1 का 1/8 हिस्सा, प्रार्थी सं. 2 का 1/8हिस्सा, अप्रार्थी सं. 1 का1/8 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 2 का 1/8 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 3 का 1/8 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 4 का 1/8 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 5 का 1/8हिस्सा, अप्रार्थी सं. 6 का 1/8 हिस्सा हिन्दु उतराधिकार कानून के अनुसार बनता है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को प्रार्थीगण के हिन्दु उतराधिकार कानून के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि ए में निहित हिस्सा 1/8, 1/8 की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम से दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी सं. 1 ने मना कर दिया। जबकि प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि ए में निहित हिस्सा 1/8, 1/8 की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम से दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी सं. 1 ने मना कर दिया। जबकि प्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि बी में निहित हिस्सा 1/8, 1/8 की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने के हिन्दु उतराधिकार कानून के अनुसार अधिकारी है। इस कारण प्रार्थीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि बी में निहित 1/8, 1/8 हिस्सा के संबंध में खातेदार घोषित किये जाने हेतु वाद बाबत खातेदारी की घोषणा का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी की भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज होने के आधार पर आगे बैचान हस्तान्तरण करने पर आमादा है इस हेतु दिनांक 20.02.2023 को अप्रार्थी सं. 1 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी को बैचान करने हेतु अजनबी क्रेतागण को मौके पर लेकर आये जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थीगण मौके पर गये तथा प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 1 से समझाईश की कि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 की संयुक्त हिन्दु परिवार की कोपार्सनरी सम्पति होने व पुश्तैनी सम्पति होने से अप्रार्थी सं. 1 को

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अकेले व प्रार्थीगण की सहमति के बिना बैचान करने का अधिकार नही है। तब अप्रार्थी सं. 1 को अकेले व प्रार्थीगण की सहमति के बिना बैचान करने का अधिकार नहीं है। तब अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीगण की समझाईश से नहीं माने तथा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थीगण को इस आशय की धमकी दी कि वो मौका देखकर वादग्रस्त कृषि भूमिं ए व बी अजनबी क्रेतागण को बैचाान करके रहेगे तथा प्रार्थीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी में निहित हिस्से से जबरन बेदखल कर देगे व प्रार्थीगण को उनके निहित हिस्से से वंचित कर देंगे। इसलिए अप्रार्थी सं. 1 को उनके द्वारा कारित किये जाने उक्त गैर कानूनी कृत्य से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना यदि अप्रार्थी सं. 1 अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो अप्रार्थी सं. 1 वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में उनके नाम दर्ज इन्द्राज के आधार पर आगे बैचान हस्तान्तरण कर देगें, जिससे प्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी में निहित हिस्से से वंचित हो जायेगे। जिससे प्रार्थीगण का वाद/प्रार्थना पत्र पेश करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा तथा प्रकरण में पैचिदगिया व मुकदमेंबाजी बढ जायेगी तथा प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। इसलिए अप्रार्थी सं. 1 को उक्त गैर कानूनी कृत्य किये जाने से रोकने हेतु उन्हे जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में हैं क्योकि वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी में प्रार्थीगण का हिन्दु उतराधिकार कानून के अनुसार 1/8, 1/8 वां हिस्सा निहित है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। यदि अप्रार्थी सं. 1 सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी उनके नाम इन्द्राज के आधार पर बैचान हस्तान्तरण कर देते है। तथा प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि ए व बी में प्रार्थीगण के निहित उपरोक्त हिस्सा से जबरन बेदखल कर देते है तो प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्राप्त हक व अधिकार से वंचित हो जायेगें। जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी, जिसका मूल्यांकन रूपयों मे नहीं आंका जा सकता है। इसलिए अप्रार्थी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक हैं कि वो राजस्व मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी को किसी प्रकार से अन्तरण नही करे न ही प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की स्वयं या अन्य से दखलअंदाजी करावें।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व मूलवाद के निर्णय तक के लिए प्रार्थीगण के पक्ष में व अप्रार्थी सं. 1 से 6 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वो प्रार्थना पत्र के पद सं. 2 व 3 में वर्णित वादग्रस्त भूमि ए व बी में निहित प्रार्थी के 1/8, 1/8 वां हिस्से की भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जे

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

काश्त में न तो स्वयं दखलन्दाजी करे व न ही अन्य किसी के जरिये करावे व न ही जबरन काश्त करे तथा अप्रार्थीगण के निहित उपरोक्त हिस्से की वादग्रस्त भूमि ए व बी को अप्रार्थी सं. 1 राजस्व रेकर्ड में दर्ज इन्द्राज के आधार पर किसी प्रकार से अन्तरित नहीं करे व न ही खुर्द बुर्द करे तथा वादग्रस्त भूमि ए व बी पर विशेष स्थान पर कच्चा या पक्का निर्माण नही करे तथा प्रार्थीगण के वादग्रस्त भूमि ए व बी में उपरोक्त हिस्सा के राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा अप्रार्थी सं. 7 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी में प्रार्थीगण के निहित उपरोक्त हिस्सा के संबंध में किसी प्रकार का अप्रार्थी सं. 1 से 6 द्वारा अन्तरण के संबंध में दस्तावेज पेश होने पर उसका पंजीयन नही करे तथा वादग्रस्त भूमि ए व बी के रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री डी.डी.रामावत द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी सं. 2 से 6 की ओर से कोई उपस्थित नही होने पर अप्रार्थी सं. 2 से 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पद 1 सही होने से स्वीकार है पद सं. 2 इस प्रकार है कि ग्राम विष्णु की ढाणी तहसील बिलाडा में स्थित भूमि खसरा सं. 76 रकबा 5.4041 हेक्टयर अप्रार्थी सं. 1 उदारांम पुत्र पेमाराम की स्वअर्जित जायदाद है। जिसे उन्होने अपनी निजी आय से तृतीय व्यक्ति से जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख खरीद किया है खरीद की दिनांक से आज दिनांक तक अप्रार्थी सं. 1 उक्त भूमि पर एकमात्र खातेदार की हैसियत से काबिज है जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का हक हिस्सा उजर या दखल अप्रार्थी सं. 1 के जीवनकाल में नही रहा है। इसके उपरान्त प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि को पुश्तैनी भूमि दर्शाकर मौजूदा प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त भूमि दर्शाया है जो निश्चित रूप से निराधार व गलत है उक्त भूमि में प्रार्थीगण व अन्य किसी भी अप्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा उजर नही है। उक्त भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि नहीं है बल्कि अप्रार्थी सं. 1 की खरीदसुदा भूमि है। जिसके प्रतिफल की अदायगी अप्रार्थी सं. 1 की है शेष इबारत जो प्रार्थना पत्र के पद सं. 2 में दर्शायी है सही होने से स्वीकार है। पद सं. 3सही होने से स्वीकार है पद सं. 4 सजरा खानदान से संबंधित है जिसमें वर्णित इबारत सही होने से स्वीकार है यहां यह दर्शाया जाना लाजमी है कि हिन्दु अविभाजित परिवार की सहदायगी भूमि बाबत पिता के जीवनकाल में पुत्रियों द्वारा बंटवाडा किये जाने की दशा में पुत्रियों की माता (अप्रार्थी सं. 1 की

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

दोनों पत्नीया प्रेमदेवी, रामप्यारी) भी अन्य सहदायकी की सदस्यों के बराबर सम्पूर्ण विवादित भूमि में हिस्से की हकदार है प्रार्थीगण ने जान बूझकर प्रार्थना पत्र में इस तथ्य को छुपाया है जबकि वादग्रस्त भूमि के संबंध में अन्य अप्रार्थीगण सं. 2 से 6 के अतिरिक्त अप्रार्थी सं. 1 की दोनों पत्नीयां बराबर हिस्से की हकदार है। उक्तानुसार वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि में ग्राम विष्णु ढाणी स्थित खसरा नम्बर 76 के अतिरिक्त शेष सम्पूर्ण भूमि में प्रार्थी सं. 1 का 1/9 हिस्सा, प्रार्थी सं. 2 का 1/9, प्रतिवादी सं. 1 का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 5 का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 6 का 1/9 तथा 1/9 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 की दोनें पत्नीयों का संयुक्त रूप से कानूनन बनता है। इसी कदर बंटवाडा किये जाने पर अप्रार्थी सं. सहमत है। पद सं. 5 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है प्रार्थना पत्र में ग्राम विष्णु ढाणी स्थित भूमि खसरा नम्बर 76 को अनावश्यक रूप से पुश्तैनी भूमि दर्शाकर विवादित भूमि दर्शाया है जो गलत होने से अस्वीकार है साथ ही इस पद में प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 की पत्नीयों के हिस्से को नजरअंदाज किया व उन्हें पक्षकार नही बनाया जबकि कानूनन वादग्रस्त भूमि में ग्राम विष्णु की ढाणी स्थित भूमि खसरा नम्बर 76 के अलावा सम्पूर्ण भूमि में प्रत्येक का 1/9, 1/9 हिस्सा है। पद सं. 6 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 की पत्नीयेा का हक हिस्सा इंकार कर इस पद में पक्षकार के हिस्से गलत दर्ज किये। पद सं. 7 में तथ्य गलत होने से अस्वीकार है प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 की खरीदसुदा भूमि को भी मौजूदा प्रार्थना पत्र. की आड में जबरन हथियाने पर आमादा है। पद सं. 8 व 9 में तथ्य गलत होने अस्वीकार है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण सव्यय हर्जा खर्चा खारिज किया जावें। अप्रार्थी सं. 7 प्रफोर्मा पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को विधि द्वारा स्थापित निम्न तीन बिन्दुओं को तय करना है :–

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– प्रथम दृष्टया मामले को सिद्ध करने का भार प्रार्थीया पर है। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में बताया कि ग्राम विष्णु की ढाणी तहसील बिलाडा की भूमि खसरा नम्बर 120/11 रकबा 1.6989 हैक्टयर, खसरा नम्बर 176 रकबा 6.4154 हैक्टयर, खसरा नम्बर 51 रकबा 5.0886 हेक्टयर, खसरा नम्बर 89 रकबा 0.4692 हैक्टयर, खसरा नम्बर 76 रकबा 5.4041 हैक्टयर, इसी प्रकार राजस्व

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

ग्राम चान्देलाव तहसील बिलाडा की भूमि खसरा नम्बर 55/12 रकबा 2.4270 हैक्टयर, खसरा नम्बर 55/3 रकबा 2.4270 हेक्टयर पक्षकारों की पैतृक अविभाजित भूमि है। जिसका विधिवत् बंटवाड़ा नही हुआ है। प्रार्थीया के दादा उदाराम के भूमि नाम होने से आगे बैचान हस्तान्तरण करने पर आमादा है। , जब तक दावे में अधिकार तय नही हो जाते तब तक भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। अन्यथा भूमि का बैचान होने की पूरी पूरी संभावना है। अप्रार्थी सं. 1 अधिवक्ता ने बहस में बताया कि विवादित भूमि में खसरा नम्बर 76 पैतृक नही है। अप्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का बैचान करने हेतु स्वतंत्र है। अन्त में अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा व काश्त प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 6 का है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा खसरा नम्बर 76 के बैचाननामा दस्तावेज पेश किया गया और नामान्तकरण की प्रतिलिपि पेश की जिससे यह प्रतित होता है कि खसरा नम्बर 76 अप्रार्थी सं. 1 का पैतृक भूमि नहीं हो कर खरीदसुदा भूमि है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है किन्तु खसरा नंबर 76 पैतृक न हो कर स्वअर्जित होने से प्रार्थीया को उक्त खसरे के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। धारा 212 राजस्थान टीनेसी एक्ट में प्रावधान है कि वादग्रस्त भूमि को नुकसान पहुचाने की नियत से खतरा हो तो ऐसी स्थिति में सम्पति की सुरक्षा हेतु अनुतोष के रूप में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। अधिकार के संबंध में गंभीर एवं सद्भावी डिस्प्यूट मानते हुए दावे का निस्तारण तक आराजी को हस्तान्तरित नही करना चाहिए। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में बनना पाया जाता है।

2. **सुविधा का संतुलन** :– विवादित भूमि खसरा नम्बर 120/11 रकबा 1.6989 हैक्टयर, खसरा नम्बर 176 रकंबा 6.4154 हैक्टयर, खसरा नम्बर 51 रकबा 5.0886 हेक्टयर, खसरा नम्बर 89 रकबा 0.4692 हैक्टयर, खसरा नम्बर 76 रकबा 5.4041 हैक्टयर, इसी प्रकार राजस्व ग्राम चान्देलाव तहसील बिलाडा की भूमि खसरा नम्बर 55/12 रकबा 2.4270 हैक्टयर, खसरा नम्बर 55/3 रकबा 2.4270 हेक्टयर पर वर्तमान में प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 6 भूमि पर काबिज काश्त है, इस कारण सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में बनना पाया जाता है।

3. **अपूर्णनीय क्षति** :– अगर विवादित भूमि का बैचान हस्तान्तरण कर दिया जायेगा तो मौके की स्थिति में परिवर्तन होगा, जिसकी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 1 को कारित हो जायेगी। अतः ऐसी स्थिति में दावे के निर्णय तक यथास्थिति कायम रखना आवश्यक है।

आदेश

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 6 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो ग्राम विष्णु की ढाणी तहसील बिलाडा की भूमि खसरा नम्बर 76 रकबा 5.4041 हैक्टयर को छोडकर खसरा नम्बर 120/11 रकबा 1.6989 हैक्टयर, खसरा नम्बर 176 रकबा 6.4154 हैक्टयर, खसरा नम्बर 51 रकबा 5.0886 हेक्टयर, खसरा नम्बर 89 रकबा 0.4692 हैक्टयर, इसी प्रकार राजस्व ग्राम चान्देलाव तहसील बिलाडा की भूमि खसरा नम्बर 55/12 रकबा 2.4270 हैक्टयर, खसरा नम्बर 55/3 रकबा 2.4270 हेक्टयर का मूल वाद के निस्तारण तक अन्य किसी को बैचान या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नही करे तथा विवादित भूमि के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपरोक्त पत्रावली मूलवाद के साथ नथी हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 23/09/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा